(58)

न्यायालय में श्री माननीय श्री राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

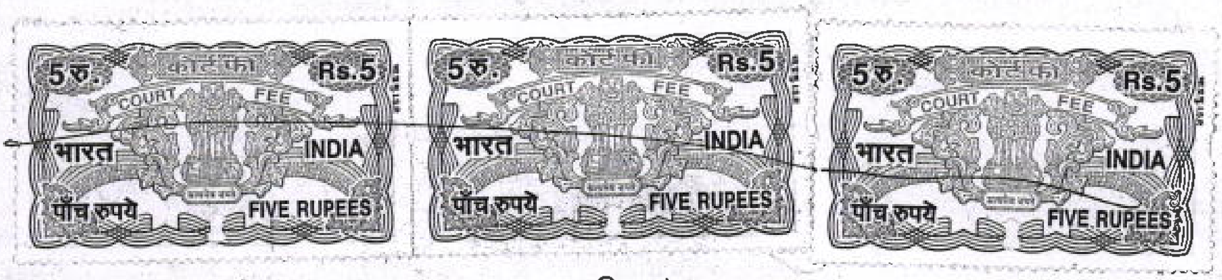

R-4093-III/13

1. भूरा पिता गजाधर काछी साकिन खुटार
2. विष्णू पिता भूरा काछी साकिन खुटार थाना तहसील मानपुर जिला–उमरिया (म0प्र0)

....आवेदकगण / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1. रामपाल पिता अवधेश ब्रा0 निवासी ग्राम सेमरा थाना तहसील मानपुर जिला–उमरिया म0प्र0
2. शासन (म0प्र0)

...अनावेदक / उत्तरदाता

पुनरीक्षण विरूद्ध निर्णय व आदेश 38 / A–12 / 12–13 आदेश दिनांक 08.08. 2013 के विरूद्ध **अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0राजस्व संहिता 1959**

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण का सार यह है कि आराजी खसरा नं. 137 / 4 रकवा 4.00 एकड आराजी ग्राम खुटार पटवारी हल्का मानपुर रा.नि.मं. मानपुर तहसील मानपुर की भूमि है जिसका मालिक भूमिस्वामी आवेदक क्रं.–1 है, आवेदक क्रं.–2 आवेदक क्रं.–1 का पुत्र है जो ग्राम खुटार में मकान कुँआ बाडी बाग बगीचा लगाकर खेती कास्तकारी करता चला आ रहा है तथा आवेदक क्रं.–1 की कुछ भूमि दुबहा हार छपडौर में भी है। जहाँ आवेदक क्रं.–1 बैल बकरी रखता है कभी–कभी वही निवास करता है आवेदक क्रं.–1 आवेदक क्रं.–2 के पास भी रहता है इस प्रकार आज लगभग 40वर्षों से आवेदक आवेदित भूमि पर शान्ती पूर्ण ढंग से आवाद है।

भूरा

विष्णू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण क्रमांक –निग0 4093/दो/2013 भूरा/रामपाल जिला–उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–5–2015	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक को कई बार सूचना दी गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं रहे। प्रकरण वर्ष 2013 से लंबित है। आवेदक एवं उनके अभिभाषक दिनांक 13.01.2014 से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। दर्शित परिस्थिति में प्रकरण रूचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	